प्रकाशित समाचार

दिनांक : गुरुवार,13 सितंबर 2018

पृष्ठ संख्या : IX

डेली हिन्दी मिलाप

DAILY HINDI MILAP
Hyderabad

हिन्दी के प्रचार-प्रसार में वर्धा की भूमिका

बी. एस. मिरगे
जनसंपर्क अधिकारी,
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय
हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा

महात्मा गांधी की कर्मस्थली वर्धा (महाराष्ट्र) एक ऐसी जगह है जिसने विश्व में हिन्दी के प्रचार और प्रसार को गति और बल प्रदान किया है। 1920 के दिसंबर महीने में नागपुर में गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का अधिवेशन सम्पन्न हुआ था। वैसे वर्धा शहर की स्थापना 1866 में हुई। पूर्व में इसे पालकवाडी के नाम से जाना जाता था। वर्धा जिले का मुख्यालय पुलगांव के पास कवठा नामक गांव में था। इसके बाद वरदायिनी वर्धा नदी के नाम पर इसे वर्धा नाम दिया गया। वर्धा का नाम इतिहास में ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चेतना के शहर के रूप में जाना जाता है और इसका उल्लेख अनेक ग्रंथों के साथ-साथ वर्धा जिला गैजेटियर में भी मिलता है। भाषा की दृष्टि से भी वर्धा जिला समृद्ध और रहा है। संस्कृत, प्राकृत, गोंडी, मराठी और हिन्दी भाषा के लिए इस शहर का नाम लिया जाता है। इतिहास के क्रम में भाषाओं का विकास यहां होता रहा है और कुछ भाषाएं कम या अधिक संख्या में बोली जाने लगीं। गैजेटियर के अनुसार वर्धा जिले में भिली या भिलोड़ी, अंग्रेज़ी, गोंडी, गोरखली या नेपाली, हलबी, खानदेशी, कोलामी, कोंकणी, कोरकु और कोया आदि दस भाषाएं बोली जाती थीं। जिसमें मराठी प्रथम स्थान पर तथा हिन्दी दूसरे स्थान पर रही है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का वर्धा आगमन और उनके द्वारा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में किये गये कार्यों को देखते हुए यह शहर हिन्दी के प्रचार का एक मुख्य केंद्र बन गया। गांधी जी का वर्धा आना और सेवाग्राम में उनका निवास होने से सेवाग्राम को भारत की अशासकीय (नॉन पॉलिटिकल) राजधानी कहा जाने लगा। गांधी जी 1934 में वर्धा आए थे। उनके यहां आने से भारत का भविष्य तय करने वाली अनेक घटनाएं और परिघटनाएं यहां होती रहीं। जिसे गैजेटियर की भाषा में 'मोमेंटस डिसिजन' कहा गया है। इतिहास की अनेक घटनाओं के साक्षी रहे इस शहर का उल्लेख इसलिए भी किया जाता है कि गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के शांतिपूर्ण युद्ध तंत्र को इसी भूमि से प्रारंभ किया था। केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रिटिशों को हिला देने वाला 'भारत छोड़ो आंदोलन' इसी भूमि की देन है। भारत छोड़ो की सत्याग्रही युद्धनीति वर्धा की ऊर्जावान भूमि से ही निश्चित की गयी थी। तो इस प्रकार वर्धा का नाम इतिहास के पन्नों में रोशन रहा है।

सन 1936 में नागपुर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल और जमनालाल बजाज प्रमुखता से उपस्थित हुए। उनकी सूचनाओं के अनुसरण में हिन्दी प्रचार समिति का गठन किया गया। सन 1937 में 15 सदस्यों की समिति ने समिति का मुख्यालय वर्धा में बनाने का निश्चय किया। आगे चलकर इसका नामकरण राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा किया गया। समिति की ओर से 'सबकी बोली' मुखपत्र चलाया जाने लगा। 1950 में इसे 'राष्ट्रभाषा' नाम दिया गया। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति प्रांतीय समितियों तथा भारत के बाहर हिन्दी का प्रचार-प्रसार कर रही है। 1973 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित करने का मूल विचार देश के सामने रखा। वे बताते हैं कि आचार्य विनोबा भावे जी का आशीर्वाद एवं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सहयोग का आश्वासन मिलने के बाद प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित करना तय हुआ और पहला विश्व हिन्दी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 को सम्पन्न हुआ। सम्मेलन का उदघाटन इंदिरा गांधी ने किया तथा अध्यक्षता मॉरीशस के प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम ने की। सम्मेलन में मॉरीशस के प्रधानमंत्री शिवसागर रामगुलाम ने कहा था 'हिन्दी भारत की राष्ट्र भाषा तो है, लेकिन हमारे लिए इस बात का अधिक महत्व है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ने विश्व एकता और भाईचारे के आदर्श को सामने रखा है। आज दुनिया के सब देश यह अनुभव कर रहे हैं कि जब तक इंसान वर्ग, जाति, रंग के भेदभाव को नहीं भूलेगा तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। इस वर्ष जब उनके देश मॉरीशस में ग्यारहवां विश्व हिन्दी सम्मेलन हुआ, तब उनकी बातों पर गंभीरता से गौर करना अनिवार्य हो जाता है। हिन्दी के वैश्विक विकास के लिए वर्ग, क्षेत्र और रंग के भेदभाव को मिटाना ही होगा।

विश्व में हिन्दी को स्थापित करने की दिशा में पहली पहल वर्धा से ही हुई है, इसे नकारा नहीं जा सकता। वर्धा की पूर्व दिशा में रेलवे स्टेशन से महज कुछ ही दूरी पर गांधी जी द्वारा स्थापित राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का मुख्यालय है। इसे वर्धा में स्थापित करने के लिए गांधी जी की यही मंशा रही होगी कि देश के मध्य स्थान में हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए वर्धा से उपयुक्त स्थान कोई हो ही नहीं सकता। सभी राज्यों और प्रदेशों को जोड़कर हिन्दी के प्रचार को यहां से ही सुगम बनाया जा सकता है, इसी भाव के साथ उनके मन में विचार आया होगा। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद, विद्वान काकासाहेब कालेलकर, महान यायावर डॉ. भदंत आनंद कौसल्योयन, मधुकरराव चौधरी जैसे विद्वान राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के साथ जुड़े रहे।

विश्व हिन्दी सम्मेलन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का आविष्कार है। प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन का ही परिणाम है कि महाराष्ट्र के वर्धा में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्व विद्यालय की स्थापना एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में की गयी। संसद में पारित विशेष अधिनियम के अंतर्गत सन 1997 में यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। वर्तमान में प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। यह विश्वविद्यालय हिन्दी के लिए अध्ययन, अध्यापन और अनुसंधान का त्रिआयामी कार्य कर रहा है। हिन्दी के लिए और हिन्दी माध्यम से पठन-पाठन और शोध के वैश्विक केंद्र के रूप उभरता यह विश्वविद्यालय वैश्विक हिन्दी के प्रसरण, प्रचार-प्रसार और प्रयोग के लिए वैश्विक प्रयोगशाला बन चुका है।

महाराष्ट्र और हिन्दी का संबंध प्राचीन काल से रहा है। इसका विस्तार से विमर्श राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की ओर से 1962 में प्रकाशित रजत जयंती ग्रंथ में डॉ. विनयमोहन शर्मा ने 'महाराष्ट्र की हिन्दी को देन' इस शीर्षक से लिखे आलेख में किया है। उन्होंने कहा है कि संतों में संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, त्रिलोचन, गोंदा महाराज, सेनानाई, भानुदास आदि-आदि ने हिन्दी की सेवा की है। संत नामदेव महाराज तो महाराष्ट्र से निकलकर पंजाब तक पहुंच गये और हिन्दी, मराठी और पंजाबी भाषा के विकास में उनका महत्वहपूर्ण योगदान रहा है। आधुनिक युग में भी मराठी भाषियों ने हिन्दी भाषा को बल प्रदान किया है। संत तुकडोजी महाराज की हिन्दी और राष्ट्रसेवा तो सर्व परिचित है। उन्होंने 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' के काल में अपने भजनों से लोगों में आज़ादी की अलख जगायी थी। इनके हिन्दी भजन आज भी गाए जाते हैं। उनकी लिखी ग्राम गीता तो ग्राम विकास का आदर्श ग्रंथ है। वर्तमान में भी अनेक मराठी साहित्यकार हिन्दी की सेवा में लगे हुए हैं और मराठी तथा हिन्दी की सेवा समानांतर रूप से कर रहे हैं। हिन्दी संपूर्ण राष्ट्र की वाणी है। इस पर विचारधाराएं, भाषाएं और क्षेत्रों का समान रूप से अधिकार है।